

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन, (मोप्र०)  
// ज्ञापन //

क्रमांक: 535/दो-12-12/78(केंटीननिलामी),  
फ़ृति,

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

संचालक,  
जनसंपर्क संचालनालय,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिये केंटीन ठेके की नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन  
बाबत।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत यथा निर्देशानुसार लेख है कि, कार्यालय जिला एवं  
सत्र न्यायाधीश, रायसेन के न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन का वर्ष 2018-19 की  
नीलामी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना है।

अतः एक स्थानीय तथा राष्ट्रीकृत दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु  
नीलामी विज्ञप्ति प्रारूप 06 प्रतियो में संलग्न प्रेषित है, कृपया समयावधि में प्रकाशन उपरांत  
समाचार पत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।  
सहपत्र- उपरोक्तानुसार।

वार्ता- जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन (मोप्र०)

क्रमांक: 538/दो-12-12/78(केंटीननिलामी),  
यथा निर्देश प्रतिलिपि:-

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

- 1- जिला जनसंपर्क अधिकारी, रायसेन संलग्न नीलामी विज्ञप्ति स्थानीय समाचार  
पत्र में समयावधि में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति  
इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।
- 2- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायसेन की ओर यथा निर्देश विशेष वाहक  
के माध्यम से संबंधित कार्यालय को नीलामी विज्ञप्ति, ज्ञापन सहित भेजे जाने की कार्यवाही  
हेतु प्रेषित।

- 3- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन  
की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय,  
जबलपुर की संबंधित बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- लेखापाल जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित।

वार्ता- जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन (मोप्र०)

4

Mohd

(०४०८) फ्रिलाइंग विश्वासा रमेश कुमारी अकाली  
प्राप्ति

८०६५। ६०। २०। कांडी सिक्कान

(गोपनीयता) ४८। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।  
हीज

कर्ताहर  
प्रधानमान्द  
छार्मीय तेक्क फ्रेड

लाभार्द विजिती मिलान ते कृष्ण चिक्क चवी का ०१-०५०८ राम  
। जाती  
। राम

—००—

ये जाली रामाना ली ते छें येक्क विश्वासाकुनी गोप विश्वासायी रामाना  
के ०१-०५०८ राम एक लाक्क चवी ए सूर्योदय चिक्कान के चिक्काय आकाशम राम  
। ते प्रात विजिती लाभार्द ए लिवान्द ही प्राची  
द्वितीय विजिती द्वारा विश्वास कम्बे विकारीय विजिती द्वारा  
मात्रम लाभार्द ते विजिती विजिती द्वारा ते लिवान्द राम विश्वासी मिलान  
। ते द्वितीय विजिती एक लाक्क चवी ए विजिती लाभार्द ए विजिती लाभार्द  
। विष्णु अस्त्राण्डा — विजिती

शिवानाम एक विजिती विजिती

(०४०९) विजिती

८०६५। ६०। २०। कांडी सिक्कान

(गोपनीयता) ४८। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।  
हीज

शिवानाम विजिती मिलान लाभार्द विजिती विजिती विजिती  
राम एक एक विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती  
विजिती एक एक विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती  
विजिती विजिती एक एक विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती  
विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती विजिती  
। विजिती

शिवानाम विजिती विजिती विजिती

(०४१०) विजिती

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.) :: नीलामी विज्ञप्ति ::

कमांक: ५३०/दो-१२-१२/७८(केंटीननिलामी),

रायसेन, दिनांक २८/०३/२०१८

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर रायसेन स्थित केंटीन के संचालन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

शर्तः

- १— निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- २— केंटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी।
- ३— ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2019 तक होगी।
- ४— केंटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जायेगी।
- ५— प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जायेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी।
- ६— केंटीन में जो खाद्य सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- ७— ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- ८— निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये 500/- (पॉच सौ रुपये मात्र) नगद नजारत अनुबिभाग में जमानत के रूप में जमा करना होगे। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जायेगी। बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ९— निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम ५.०० बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जायेंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- १०— केंटीन संचालन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह केंटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक २८/३/१८ को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई।

९

(विमल प्रकाश शुक्ला)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायसेन

रायसेन, दिनांक २८/०३/२०१८

पृष्ठांक. / ५३३/दो-१२-१२/७८(केंटीननिलामी),

यथा निर्देश प्रतिलिपि —

- १— प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टेप्ल, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चास्पांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का काष्ट करें।
- २— जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का काष्ट करें।
- ३— सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित बेवसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करें।
- ४— लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते— जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

